न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर राज0

बईजलास पीठासीन अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार (आर0ए0एस)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू।

वाद पत्र संख्या 1/2012 निर्णय दिनांक 5.2.19

1. खूशबू चौधरी पुत्री फूलचंद चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

---वादी---

बनाम

1. नाना देवी बेवा धन्ना
2. श्योजीराम पुत्र धन्ना
3. कानाराम पुत्र धन्ना मृतक दौराने दावा

3/1 ममता देवी पत्नि स्व0 कानाराम

3/2 रोहित पुत्र स्व0 कानाराम

3/3 खुशी पुत्री स्व0 कानाराम

3/4 मुस्कान पुत्री स्व0 कानाराम

3/5 हिमांशी पुत्र स्व0 कानाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

4. बाबूलाल पुत्र धन्ना
5. रमेशचंद पुत्र धन्ना
6. रंगलाल पुत्र धन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल निवासी 58 महिमा नगर स्कॉन रोड मानसरोवर जयपुर राजस्थान।

7. हीरा देवी पुत्री धन्ना पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्रम रूबास तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

8. कमला उर्फ नन्छी पुत्री धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

9. गीता चौधरी बेवा फूलंचद चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

10. मोटाराम उर्फ भूरा पुत्र लक्ष्मीनारायण "मृतक दौराने दावा"

10/1 गोपाल पुत्र स्व0 मोटाराम उर्फ भूरा

10/2 परसराम उर्फ रामप्रसाद पुत्र स्व0 मोटाराम उर्फ भूरा

10/3 उदाराम पुत्र स्व0 मोटाराम उर्फ भूरा

10/4 विमला देवी पत्नि स्व0 कल्ला

10/5 कविता पुत्री स्व0 कल्ला

11. माधो पुत्र लक्ष्मीनारायण "मृतक दौराने दावा"

11/1 धन्नी देवी पत्नि स्व0 माधोलाल

11/2 हनुमान पुत्र स्व0 माधोलाल

11/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 माधोलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

12. जयराम पुत्र सूज्या उर्फ सूरजमल जाति जाट निवासी वसुन्धरा कॉलोनी टोंक रोड जयपुर राजस्थान।

13. पांचू उर्फ पांच्या पुत्र रघुनाथ ''मृतक दौराने दावा''

13/1 रामलाल पुत्र स्व0 श्री पांचू उर्फ पांच्या

13/2 जगदीश पुत्र स्व0 श्री पांचू उर्फ पांच्या

14 पूरण पुत्र रामनारायण

15 रामचंद्र पुत्र रामनारायण

16. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण

17 मु0 शान्ति बेवा रामनारायण

18 रोडूराम पुत्र हरनाथ

19. रामनारायण पुत्र हरनाथ

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

20. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

21. तहसीलदार महोदय चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

22. उप पंजीयक महोदय चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

दावा बाबत घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,89,92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :—

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

1. वाके ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयुपर मे स्थित आराजी ख0न0 5 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 37 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 4 बिस्वा, खसरा न0 175 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा , ख0न0 184 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 262 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ख0 न0 176 रकबा 2 बिस्वा , ख0न.0 183 रकबा 5 बिस्वा, ख0न0 26/279 रका 1 बिस्वा स्व0 रघुनाथ की खातेदारी की आराजियात थी, जिसके हाल ख0न0 11,12,13,58, 59, 129–13, 134–138, 548–550, 552, 556–559, 561–564, 644 कुल किता 30 कुल रकबा 4.13 हैक्टयर आराजियात के वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के पूर्वज स्व0 श्रघुनाथ कीं खातेदारीं व कब्जेकाश्त की आराजियात थी और अपरोक्त आराजियात की अन्य अप्रार्थीगण की भी अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्ठिया दर्ज थी।

2. रघुंनाथ के पांच पुत्र लक्ष्मण,सुख्या, सूज्या, पांचू तथा श्योचन्दा थे । श्योचन्दा ना औलाद फौत हे गया था तथा वादिया के पिता फूलचन्द चौधरी का दिनांक 23.2.88 को 27 वर्ष की उम्र मे सडक दुर्घटना मे देहान्त हो गया था, तब प्रार्थिया की उम्र लगभग सवा माह ही थी, तथा वादिया के हिस्से की उक्त अराजियात 1/20 हिस्से पर वादिया जरिये अपनी माता श्रींमती गीता चौधरी प्रतिवादी संख्या 9, जो कि वादिया की एकमात्र संरक्षिका भी हे, काबिज काश्त व दाखिल चली आ रही है।

Signature Not Verified

3. वादिया के पिता के स्वर्गवास के समय उक्त आराजियात वादिया के दादा स्व0 सुक्खा पुत्र रघुनाथ के नाम खातेदारी मे दर्ज थी तथा वादिया जरिये

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

विधिक संरक्षिका अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त व दाखिल चली आ रही है।

4. वादिया के दादा के जीवन काल मे विवादित आराजीयात की खातेदारी उसके दादा स्व0 सुक्खा पुत्र रघुनाथ के नाम से हिस्से तकमील थी, किन्तु उनका स्वर्गवास वर्ष 1994 मे हो जाने के उपरान्त वादिया के पिता के बडे भाई स्व0 धन्नपा जो कि वादिया के ताउ लगते थे द्वारा बदनियति पूर्वक सुक्खा पुत्र रघुनाथ का सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 का फौती विरासत इंतकाल अपने अकेले के नाम से अवैध रूप से तस्दीक करवा लिया, जबकि वादिया के पिता स्व0 फूलंच्न्द तथा प्रतिवादी सं0 1 के पति स्व0 धन्ना का शामलाती हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/10 –1/10 नामान्तकरण तस्दीक किया जाना कानूनी रूप से आवश्यकीय था, किन्तु प्रतिवादी सं0 1 के पति ने अपने को स्वंय अकेला सुक्खा पुत्र रघुनाथ का वारिस बताकर व तथ्यों को छिपाकर तत्कालीन ग्राम सरपंच से मिलीभगत करके अवैध रूप से नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.6.1989 को तस्दीक व तकमील करवा लिया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य हे।

5. वादिया स्व0 श्री फूलच्नद पुत्र सुक्खा की एकमात्र पुत्री है तथा उसके बाल्यकाल मे ही उसके पिता की सडक दुर्घटना मे स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसकी एकमात्र संरक्षिका प्रतिवादी संख्या 9 रही है। तथा उसके दादा की फौती के पश्चात विरासत में उसके पिता स्व0फूलचन्द चौधरी के हिस्से का नामान्तकरण हिस्सा 1/20 उसके व हिस्सा 1/20 प्रतिवादी संख्या 9 के नाम से तस्दीक होना चाहिए था, किन्तु वादिया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा (जयपुर)

ताउ स्व0 धन्ना द्वारा अपने को सुक्खा पुत्र रघुनाथ का एकमात्र पुत्र बताकर अवैध रूप से हिस्सा 1/5 के इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो व तत्कालीन ग्राम सरपंच से मिलकर अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कि कानूनी रूप से अवैध है और उक्त इन्द्राज की जानकारी वादिया को दिनांक 13.2.2011 को उक्त हुई जब वादिया अपने आवास पर प्रतिवादी संख्या 9 के वकील साहब की उपस्थिति के कारणों से अवगत हुई तथा उनके द्वारा वादिया को सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी दी गई, तब वादिया को उक्त अवैध नामान्तकरण व राजस्व रिकार्ड के बारे मे जानकारी मिली।

6. प्रतिवादी संख्या 1 के पति ने उकत अवैध नामान्तकरण मे दर्ज प्रविष्टि तथा राजस्व रिकार्ड इन्द्राज का अवेध लाभ उठाते हुए एवं वादिया को उसके हितो व कानूनी अधिकारों से वंचित रखने की गरज से वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/5 को जयपुर जिला सहकारी विकास बैंक को अवैध रहन रख दी । उक्त रहन वादिया के हिस्से तक विधि विरूद्ध एवं बमुकाबले वादिया प्रभावशून्य हैं। इस रहननामें के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 23 को कानूनन वादिया के हिस्से तक कोई हक व अधिकार ऋण देने के प्राप्त नही थे और न ही वादिया के उपरोक्त ऋण से कानूनी हक व अधिकार समाप्त होते है ।

7. वादिया के दादा व [illegible] के पश्चात प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधि[illegible] अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी स्वतः ही गई, [illegible] वादिया को अथवा उसकी विधिक संरक्षिका को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटखावदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

द्वारा अवैध नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस व सुनवाई पक्ष समर्थन अवसर प्रदान नही किया गया , इसलिए भी उक्त अवैध नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.6.89 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण वादिया के हितो के विरूद्ध प्रभाव शून्य है ।

8. नायब तहसीलदार कोटखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर द्वारा विवादित नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व0 धन्ना को अनुचित लाभ प्रदान करने की गरज से सुक्खा पुत्र रघुनाथ के सभी वैध कानूनी उत्तराधिकारियों की जांच नही कर गुप्त रूप से विवादित नामान्तकरण को केवल यह कहते हुए कि "सुक्खा फौत धन्ना पुत्र" स्वीकार करने मे कानूनी प्रावधानों की अवहेलनाकर स्वीकृत किया हे । इसलिये भी वादिया इस वाद पत्र के द्वारा उपरोक्त घोषणा करवाने की अधिकारिणी है।

9. .विवाद ग्रस्त भूमि वादिया तथा वादिया के ताउ स्व0 धन्ना की दिनांक 15.5.2011 को मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 19 की हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे काशत की कृषि अराजियाता है, जिसका उपयोग–उपभोग वादिया जरिये वैध संरक्षिका निरन्तर अपने हिस्से तक संयुक्त रूप से बिना किसी रोक–टोंक के मुतबातिर उपयोग–उपभोग करती चली आ रहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

10. उक्त अवैध नामान्तकरण [illegible] कोई नोटिस व सुनवाई का मौका दिये बिना वादिनी की अदम मौजूदगी मे गुप्त रूप से अवैध तरीके से पारित किया गया है, वादिनी को उपरोक्त नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संख्या 29 दिनांक 28.6.1989 की जानकारी सर्वप्रथम उस वक्त हुई जब वादिनी के निवास पर प्रतिवादी संख्या 9 के अधिवक्ता दिनांक 13.2.2011 को मौजूद थे तथा वादिनी के निवेदन पर उन्होने वादिनी को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत करवाया । प्रतिवादीं संख्या 9 द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय के समसक्ष प्रतिवादीं संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज स्व0 धन्ना के विरूद्ध भी प्रस्तुत कर रखा था जिसमे स्व0 धन्ना की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को कायम किया जा चुका हे तथा उक्त दावे मे वादिनी द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र मे नियत समय मे सुनवाई नही होने के कारण तथा वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र के मियाद बाहर होने से बचाने के कारण वादिनी को उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ।

11. वादिया कानूनन अधिकारिणी है कि वह अपने पिता स्व0 फूलचन्द पुत्र सुक्खा के हिस्से की उक्त आराजियात हिस्सा 1/20 की खातेदारी काश्तकार घोषित करवाने तथा विधिवत मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकास्मा करवाने की अधिकारिणी है ।

12. वादिनी यह भी कानूनन अधिकारी हे कि वह अपने पिताके हिस्से की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि वह वादिनी के हक व हिस्से की [illegible] उसके उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादीगण अवैध राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादाग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

भूमि किसी अन्य व्यक्ति को रहन बमुन्तकिल , हस्तान्तरण न स्वयं करे और न किसी अन्य से करावे ।

13. वाद कारण दिनांक 13.2.2011 को वादिनी को उक्त अवैध नामान्तकरण की जानकारीं होने से आज दिनांक लक लगातार बना हुआ है तथा विवादाग्रस्त भूमि मे अपने हक एवं हिस्से की सुरक्षा हेतु उक्त वाद बाबत घोषणा दुरूस्तीं इन्द्राज, बंटवारा एवं स्थायी निषेघाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

14. प्रतिवादी संख्या 21 सरकार लेण्ड होल्डर होने व तहसीलदार सरकार का प्रतिनिधी होने के कारण वाद मे आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादीं संख्या 21 बनाया गया है।

15. प्रतिवादी संख्या 22 उप पंजीयक महोदय चाकसू है तथा वादिनी को पूर्ण संभावना है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने व पंजीयन करने को आतुर है और दौराने वाद भूमि वादग्रस्त को सुरक्षित किया जाना कानूनन आवश्यक है । इसलिए पक्षकार मुकदमा प्रतिवादी संख्या 22 बनाया गया है।

16. यह वादिनी विरूद्ध प्रतिवादींगण डिकीं किया जाकर घोषणा इस प्रकार फरमाई जावे कि वादग्रस्त [illegible] वाद पत्र के पैरा न0 1 मे वर्णित किया गया है, [illegible] की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

17\. वाद वादिनी के विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर इस प्रकार फरमाया जावे कि वादिया के दादा स्व0 सुक्खा पुत्र रघुनाथ की विरासत नामान्तकरण सख्या 29 दिनांक 28.6.89 वादिया के हक व अधिकर तक प्रारम्भ से प्रभाव तक शून्य एवं अकृत है। उक्त विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य नामान्तकरण संख्या 29 के आधार पर की गई, पश्चातवर्ती प्रविष्टियां वादिनी के हितो के विरूद्ध प्रभाव शून्य हे ।

वाद बहक वादिनी वियद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत विभाजन के अनुसार पृथक से खाता व लगान कायम किया जावे ।

वादिनी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादिनी के हिस्से की भूमि का विक्रय न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा आराजी के उपयो–उपभोग मे बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे ।

दावा वादिया के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादींगण को तलबी जारीं कीं गई तो प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की तरफ से वकील हाजिर आया व दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया

1\. वाद–पत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित तथ्यों मे विवादित भूमि के खसरा एवं रकबा अंकित किया जना स्वीकार है [illegible] खा[illegible]री रघुनाथ के नाम होना स्वीकार है। इस मद मे [illegible] वादिनी और प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 13 की कब्जे काश्त की भूमि है, पूर्णतया गलत है। वादिनी तथा प्रतिवादी संख्या–9 का विवादित भूमि मे किसी प्रकार का हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अधिकार नही है। वादिनी स्व0 फूलच्नद की पुत्री नही है । फूलचन्द के कोई संतान पुत्र या पुत्री पैदा नही हुई थी तथा फूलचन्द बचपन मे ही श्योकरण के गोद चला गया था, इसलिए फूलचन्द का अपने पिता सुक्खा की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का हक व अधिकार नही था । सुक्खा की मृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक अप्रार्थीगण संख्या–1 से 8 का पति एवं पिता धन्ना हो गया और धन्ना कीं मृत्यु के पश्चात विवादित सम्पत्ति के मालिक प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 है, जिनका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है।

2. वाद पत्र का मद नम्बर 2 अस्वीकार है । वादिनी द्वारा जो सजरा खानदान पेश किया है , वह गलत होने से अस्वीकार है। जैसा कि उपर के मद मे वर्णित किया गया है, कि वादिनी खूशबू फूलचन्द की पुत्री नही हैं क्योकि प्रतिवादी नम्बर 9 ने दिनांक 28.10.1996 को एक दावा सहायक कलेक्टर चाकसू के समक्ष प्रतिवादी संख्या–1 से 8 के पति एवं पिता धन्ना एवं अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध पेश किया गया , जिसमे प्रतिवादी संख्या–9 ने कही भी यह अंकित नही किया कि उसके एक पुत्री भी है, यदि पुत्रीं होती तो अवश्य ही पक्षकार बनती, वह प्रतिवादी नम्बर 9 का दावा खारिज हो गया , इसके पश्चात दिनांक 1.10.2010 को इसी विवादित सम्पत्ति का प्रतिवादी संख्या–9 ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष धन्ना एवं सहखातेदारों के विरूद्ध दावा पेश किया, जिसमे सजरा खानदान पेश किया है, उसमे भी यह [illegible] नही है कि वादिनी फूलचन्द की लडकी है। इसी प्रकार [illegible] द्वितीय के प्रतिवादी संख्या–9 ने नामान्तकरण की अपील धन्ना एवं अन्य के खिलाफ पेश की , उसमे भी सजरा खानदान पेश किया, उसमे भी वादिनी का नाम फूलचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

की पुत्री के रूप मे दर्ज नही है । ए0डी0एम0 द्वितीय जयपुर मे विचाराधीन नामान्तकरण की अपील मे वादिनी ने पक्षकार बनने का वाद–पत्र पेश किया,जो दिनांक 13.9.2011 को खारिज हो गया , इससे पूर्णतया साबित है, कि वादिनी फूलचन्द की पुत्री नही है, इसलिये वादिनी को दावा व वाद–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। इसी प्रकार से उपखण्ड अधिकारी सांगानेर एवं जिलाधीश जयपुर मे प्रतिवादी संख्या–9 द्वारा प्रस्तुत दावा व अपील मे यह दर्ज नही है, कि वादिनी फूलचन्द की पुत्री है।

3. वाद पत्र का मद नम्बर–3 अस्वीकार है । रघुनाथ के पांच पुत्र थे , उसको वादिनी स्वंय सिद्ध करे । दुर्घटना मे फूलचन्द की मृत्यु हो गयी । वादिनी स्वंय साबित करे , फूलचन्द के कोई संतान लडकी या लडका नही था,जब फूलचन्द के कोई संतान नही थी, तो फूलचन्द की मृत्यु के समय वादिनी की उम्र सवा महिना होने का प्रश्न ही नही है। इस मद मे यह पूर्णतया गलत है, कि विवादित आराजी के 1/20 भाग पर वादिनी अपनी मॉ गीता चौधरी जो उसकी प्राकृतिक संरक्षिका है,काबिज काश्त है। यदि प्रार्थिया, प्रतिवादी संख्या–9 की पुत्री होती तो वह अवश्य ही उसके द्वारा किये गये विभिन्न न्यायालय मे दावा एवं अपीलो मे उसका नाम व उसके अधिकारों का अवश्य उल्लेख करती । प्रार्थी ,प्रतिवादी नम्बर–9 की पुत्री ही नही है, इसलिए उसका नाम किसी भी दावे या अपील मे प्रतिवादी नम्बर–9 द्वारा दर्ज नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

4. वाद पत्र का मद नम्बर–4 अस्वीकार है । फूलचन्द वादिनी का पिता नही था क्योकि फूलचन्द के कोई संतान नही थी । प्रतिवादी संख्या–9 वादिनी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

कीविधिक संरक्षिका नही है, यदि प्रतिवादी संख्या–9 वादिनी की विधिक संरक्षिका होती और वादिनी उसकी संतान होती तो प्रतिवादी नम्बर–9 द्वारा किये गये दावों और अपीलो मे उसके अधिकारों का तथा उसके होने का उल्लेख अवश्य करती ।

5. वाद पत्र का मद नम्बर–5 गलत होने के कारण अस्वीकार । विवादित आराजी की खातेदारी सुक्खा के नाम दर्ज होना स्वीकार हे। सुक्खा कीं मृत्यु सन्– 1994 मे होने का तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । सुक्खा की मृत्यु से पूर्व ही फूलचन्द बचपन मे ही श्योकरण के गोद चला गया था, इसलिये फूलचन्द को अपनी ओर से पिता की सम्पत्ति मे अधिकार समाप्त हो जाने के कारण सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक प्रतिवादी संख्या–1से8 का पति एवं पिता धन्ना हो गया । इसलिंए सुक्खा की मृत्यु सन्–1989 मे हो जाने पर सुक्खा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि वैध रूप से धन्ना के नाम दर्ज हुई है, जिसके लिए पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारीं किया है।प्रतिवादींगण संख्या 1 से 8 के पति एवं पिता धन्ना के नाम नामान्तकरण सख्या 29 दिनांक 28.6.1989 सही रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत तस्दीक किया गया ।

6. वाद–पत्र का मद नम्बर–6 अस्वेकार है । वादिनी फूलच्नद की पुत्री नही है प्रतिवादी नम्बर–9 वादिनी कीमाता और प्राकृतिक संरक्षिका नही है। यदि वादिनी प्रतिवादी संख्या–9 की संतान होती तो अवादिनी संख्या–9 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पति एवं पिता के विरूद्ध विभिन्न न्यायालय मे किये गये दावों एवं अपीलो मे वादिनी के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उसको पक्षकार बनाकर अवश्य ही मुकदमा पेश करती

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

। वादिनी फूलचन्द कीपुत्री नही है तथा फूलचन्द बचपन मे ही श्योकरण के गोद चला गया था, इसलिये सुक्खा की सम्पत्ति मे फूलचन्द का कोई हिस्सा नही होने से प्रतिवादी संख्या–9 का भी 1/20 हिस्सा विवादित सम्पत्ति मे नही है । बल्कि प्रतिवादी संख्या–9 का हिस्सा श्योकरण की सम्पत्ति मे है, जिसके फूलचन्द गोद गया था । फूलचन्द के श्योकरण के गोद जाने के पश्चात सुक्खा के एकमात्र पुत्र धन्ना ही था, इसलिये सुक्खा की भूमि के 1/5 हिस्से को सही रूप से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरपंच की रिर्पोट के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे धन्ना का नाम दर्ज किया है ,उक्त तथ्य की जानकारी वादिनी को दिनांक 13.2.2011 को उसके निवास पर होना पूर्णतया गलत अंकित किया है ।

7. वाद पत्र का मद नम्बर–7 अस्वीकार है । प्रतिवादी संख्या–1 के पति ने नाम राजस्व रिकार्ड मे जो इन्द्राज हुए है, वे कानूनी प्रावधानों के तहत हुए है, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 का पति विवादित भूमि का एकमात्र स्वामी था, जिसे अपनी भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, उसी के तहत यदि उसने उक्त भूमि पर बैंक से ऋण से प्राप्त था, उसी के तहत यदि उसने उक्त भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त किया है, तो उसमें किसी भी प्रकार की अवेधता नही है। जब वादिनी का विवादित भूमि से कोई संबंध ही नही है, तो रहन का शून्य होने का प्रश्न ही नही है। इस मद में अंकित प्रतिवादी संख्या 23, वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 23 कोई नही है, इसलिये इस तथ्य का जवाब अपेक्षित नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

8. वाद पत्र का मद नं0 8 अस्वीकार है। जैसा कि उपर के मदों में अंकित किया है, कि वादिनी स्व0 फूलचंद की पुत्री नही है, तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा – 8 के तहत उत्तराधिकारी होने का प्रश्न ही नही है। नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को विवादित सम्पत्ति का नामान्तकरण धन्ना के नाम खोलते समय नोटिस की आवश्यकता नही थी क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया था तथा फूलचंद, श्योकरण के गोद चला गया था, इसलिये प्रतिवादी संख्या 9 को नोटिस देने की आवश्यकता ही नही थी। नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.06.1989 कानूनी प्रकिया के तहत खोला गया है।

9. वाद–पत्र का मद नम्बर 9 अस्वीकार है। नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा खोला गया नामान्तकरण विवादित नही है। नायब तहसीलदार द्वारा सुक्खा क वारिसान की जांच एवं पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण मजमेंआम में तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण खोलने में किसी भी प्रकार से कानून की अवहेलना नही की गयी है। वादिनी का विवादित सम्पत्ति में अधिकार नही है। इसलिये विवादित सम्पत्ति की अपने नाम घोषणा कराने की अधिकारिणी नही है।

10. वाद पत्र के मद नम्बर 10 अस्वीकार है। विवादित भूमि में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 9 का कोई हिस्सा नही है। प्रतिवादी संख्या 9 एवं वादिनी का विवादित भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नही है। यहॉ तक कि उन्हें विवादित भूमि की भी जानकारी नही है, कि भूमि कहां पर स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

है, इसलिये भूमि पर कब्जा एवं काश्त होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

11. वाद पत्र के मद संख्या 11 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादिनी का इस मद में अंकित करना कि नामान्तकरण बिना नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना खोला गया है, पूर्णतया गलत है। वादिनी फूलचंद की पुत्री नही है तथा फूलचंद का विवादित सम्पत्ति में कोई संबंध नही था और वादिनी फूलचंद की पुत्री नही है, इसलिये उसको नोटिस देने की आवश्यकता ही नही थी। नामान्तकरण संख्या 29 संख्या 28.06.1989 की जानकारी प्रतिवादी संख्या 9 के वकील ने दिनांक 13.02.2011 को वादिनी को देने का तथ्य भी गलत अंकित किया है। इस मद में यह अंकित करना कि प्रतिवादी संख्या 9 ने एक वाद न्यायालय हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वज धन्ना के विरूद्ध करना स्वीकार है। धन्ना की मृत्यू के बाद प्रतिवादी नं0 1 से 8 पक्षकार होना स्वीकार है। उक्त वाद में वादिनी द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना भी स्वीकार है, लेकिन वादिनी का यह अंकित करना पूर्णतया गलत है, कि प्रार्थना पत्र पर नियत समय में सुनवाई नही होने से तथा उक्त वाद पत्र मियाद बाहर होने से बचने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, पूर्णतया गलत है, जब विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 22 के मध्य एक वाद पूर्व में ही न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें वादिनी ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, तो उक्त प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते हुए वादिनी को अलग से कोई दावा लाने का अधिकार नही है। अपितु यदि उसे न्यायालय द्वारा पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

विचाराधीन वाद में पक्षकार बनाया जाता है, तो वह अपना क्लेम उस दावे में कर सकती है, न कि अलग वाद ला सकती है।.

12. वाद पत्र के मद नम्बर –12 गलत होने के कारण अस्वीकार हे । वादिनी स्व0 फूलचन्द पुत्र सुक्खा की पुत्री नही है। स्व0 फूलचन्द का विवादित भूमि मे 1/20 हिस्सा नही है। क्योकि फूलचन्द श्योकरण कके गोद चला गया था । इसलिए सुक्खा कीं सम्पत्ति मे फूलचन्द का कोई हक व हिस्सा नही था । जब फूलचन्द का विवादित भूमि मे हिस्सा ही नही था और वादिनी फूलचन्द कीं पुत्री ही नही हैं, तो विवादित भूमि खातेदारीं की घोषणा कराने व बंटवारा कराये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

13. वाद–पत्र के मद नम्बर–13 गलत होने के कारण अस्वीकार है जब विवादित भूमि मे स्वर्गीय फूलचन्द की पुत्री नही है, तो प्रतिवादीगण संख्या– 1 से 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। जब वादिनी फूलचन्द की पुत्रीं नही है, और फूंलचन्द का विवादित भूमि मे हिस्सा नही है, तो विवादित भूमि का वादिनी द्वारा उपयोग–उपभोग करने का प्रश्न ही नही है। विवादित भूमि के प्रतिवादीगण संख्या–1से 8 खातेदार , काबिज काश्तकार है, उन्हे अपनी उक्त खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का अधिकार है । मिन प्रतिवादीगण को उनके अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

14. वाद–पत्र के मद नम्बर–14 अस्वीकार है। दिनांक 13.2.2011 को वादिनी को किसी नामान्तकरण कीं जानकारी नहीं हुई । मिन प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

विरुद्ध वादिनीं को कोई कारण वाद उत्पन्न नहीं होने के कारण वादिनी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

15. वाद–पत्र के मद नम्बर–19 के इश्तदुआ के मद नम्बर–19–क,ख,ग,घ,ड मे चाहा गया अनुतोष वादिनी प्राप्त करने की अधिकारिणी नही होने के कारण वादिनी का वाद खारिज किये जाने योग्च है ।

—:अतिरिक्त कथनः—

1. प्रतिवादी संख्या–9 ने विवादित भूमि के सम्बन्ध मे मिप व्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा कर रखा है, जिसमे आज की तारीख पेशी नियत है, जिसका मुकदमा नम्बर–126/2010 है। वादिनी ने अपने आपको फूलचन्द की पुत्री बताते हुए न्यायालय हाजा मे विचाराधीन दावा गीता चौधरीं बनाम धन्ना वगै0 मुकदमा नम्बर–126/2010 मे दिनांक 9.5.2011 को पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कि वह उक्त मुकदमे मे आवश्यक पक्षकार है। इसलिये उसे पक्षकार बनाया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते हुए उक्त वाद–पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिये उक्त वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

2. जब वादिनी ने मुकदमा नम्बर–126/2010 गीता चौधरी बनाम धन्ना वगैरहा मे पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिये उसी दावे मे वादिनी का यदि कोई अधिकार बनता है तो वह अपना क्लेम उसी दावे मे पेश कर सकती है, अलग से [illegible] नही ला सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रतिवादीं संख्या–9 का पति फूलचन्द बचपन मे ही श्योकरण के गोद चला गया था, इसलिये फूलचन्द का अपने और पिता की सम्पत्ति मे सभी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अधिकार समाप्त हो गये । उसके समस्त अधिकार श्योकरण कीं सम्पत्ति मे किसी प्रकार का हक नही रहा , अपितु सुक्खा कीं सम्पत्ति मे केवल मात्र प्रतिवादी संख्या–1 के पति धन्ना का अधिकार रह गया और सुक्खा कीं मृत्यु के पश्चात सन् 1989 मे सुक्खा की सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या–1 के पति धन्ना के नाम दर्ज हुई है।

4. वादिनी फूलचन्द कीं पुत्री नही है, फूलचन्द के अपने जीवनकाल मे उसकीं पत्नी प्रतिवादी संख्या–9 से कोई संतान पैदा नही हुई । फर्जी तौर पर पुत्री बनकर दावा प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रतिवादी संख्या–9 ने दिनांक 28.10.1996 कौ न्यायांलय सहायक कलेक्टर चाकसू के समक्ष दावा प्रस्तुत किया । उस दावे मे प्रतिवादी संख्या–9 ने अपने सजरा खानदान मे वादिनी काक उल्लेख नहीं है, कि वादिनी फूलचन्द की पुत्रीं हैऔर उसका अधिकार विवादित सम्पत्ति मे हो । प्रतिवादी संख्या–9 ने दिनांक 1.10.2010 को उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, जिसके मद नम्बर–2 मे सजरा खानदान का उल्लेख है, उस सजरा खानदान मे वादिनी का नाम दर्ज नही है, कि खुशबु चौधरी फूलचन्द की पुत्री हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारीं सांगानेर मे भीं प्रतिवादी संख्या–9 ने दावा पेश किया तथा ए0डीं0एम0 द्वितीय जयपुर जिला जयपुर मे व न्यायालंय जिलाधीश जयपुर मे नामान्तकरण की अपीले पेश की है, उनमे सजरा खानदान का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसमे वादिनी का नाम दर्ज नही है, कि खुशबु चौधरी फूलचन्द की पुत्री हो। इस प्रकार से विचाराधीन दावों से यह स्पष्ट हे, कि वादिनी फूलचन्द की पुत्री नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

6. विवादित भूमि के मिन प्रतिवादीगण संख्या–1 से 8 एकमात्र स्वामी, खातेदार, काश्तकार है, जिन्हें कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता । यदि वादिनी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है, तो वादिनी को किसी प्रकार की क्षति नही होगी, बल्कि मिन प्रतिवादीगण के अधिकारों संरक्षण होगा ।

7. मिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कारण वाद पैदा नही होने के कारण वादिनीं का वाद एवं वाद–पत्र प्रिमच्योर, कॉज ऑफ एक्शन होने के कारण वादिनी का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

8. वादिनी ने सही तथ्यों को छिपाया है एवं गलत तथ्यों के आधार पर दावा एवं वाद–पत्र पेश किया है । वादिनी क्लीन हैण्ड से दावा लेकर नही आई है, इसलिए वादिनी का वाद–पत्र एवं दावा खारिज किये जाने योग्य है ।

जवाब वाद–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का वाद पत्र 3 घोषणा, बटवारी–2 स्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा मिन प्रतिवादीगण को वादिनी से विशेष हर्जा–खर्चा दिलाया जावे।

दावा का जवाब दावा पेश होने पर वकील प्रतिवादी बार–बार आवाज लगाने पर न तो वकील प्रतिवादी हाजिर आया न ही प्रतिवादी हाजिर आये न ही प्रतिवादीगण हाजिर आये न ही प्रतिवादीगण की तरफ से परवी करने अन्य कोई हाजिर आया एवं प्रतिवादीगण की तरफ से कोई भी हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही कीं गई व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से तनकीयात कायम नही की जाकर बहस दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वकील वादी की एक सुनी गईतो वादी वकील ने दौराने बहस दावे का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादिया की पैतृक भूमि है, जिसमे वादिया का हक व अधिकार निहित होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः दावा वादिया डिक्री फरमाया जावे।

वकील वादिया की बहस पर गौर किया व दावा जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो दावा घोषणा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जे सजरा खानदान अनुसार रघुनाथ के पांच पुत्र लक्ष्मण, सुज्या, पांचू तथा श्योचन्दा था जो श्योचन्दा ना औलाद फौत हो गया , वादिया के पिता फूलचन्द चौधरी का दिनांक 23.2.88 को सडक दुर्घटना मे देहान्त हो गया। वादिया तत्समय सवा माह की थी । वादिया के पिता के स्वर्गवास के समय वादग्रस्त आराजी वादिया के दादा सुक्खा के नाम थी, जिसके अनुसार वादिया विधिक वारिस काबिज काश्त थी। वादिया के दादा का स्वर्गवास के उपरान्त वादिया के बडे पिता स्व0 धन्ना द्वारा बदनियति से सुक्खा पुत्र रघुनाथ का सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 फौती विरासत अकेले के अपने नाम खुलवा लिया, जबकि वादिया के पिता फूलचन्द तथा प्रतिवादी संख्या 1 मे पति धन्ना का शामलाती हि0 1/5 दर हि0 1/10 नामान्तकरण तस्दीक किया जाना कानूनन आवश्यक था जो नही किया गया । वादिया स्व0 फूलचन्द पुत्र सुक्खा की एक मात्र पुत्री है, जो विधिक वारिस है। इस बाबत वादिया ड्राईवर लाईसेंस एवं राशन कार्ड की प्रति पेश की गई है। वादिया फूलचन्द कीं एक मात्र पुत्री है व फूलचन्द की मृत्यु के बाद वादिया के दादा व पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद वादिया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादीं के द्वारा फूलचन्द को श्योकरण के गोद जाना बताया परन्तु इसकी पुष्टि मे कोई प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया गया । ऐसी स्थिति मे वादिया फूलचन्द की एक मात्र वारिस व जायन्दा पुत्री होने से तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने जो वादिया के दादा सुक्खा के द्वारा छोडी हुई भूमि है, जिसमे वादिया का हक हकूक होने से दावा वादीं डिकी किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू में खसरा नम्बर 5, 37, 174, 175, 184, 262, 176, 183, 26/269 जिसमें हाल खसरा नम्बर 11, 12, 13, 58, 59 129–133, 134–138, 546–550, 552, 556–559, 561–564, 644 किता 30 रकबा 4.13 है0 में वादिया को 1/20 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिकी जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर हो। 5.2.19

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested